



# पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), E-mail ID- academicprsu2@gmail.com

क्रमांक : 1757/अका./2022

रायपुर, दिनांक : 06.06.2022

## ॥ अधिसूचना ॥

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 02/06/2022 में छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3-33/2020/38-1 दिनांक 28/03/2022 के परिपालन में सेमेस्टर परीक्षा मई-जून 2022 के आयोजन, मूल्यांकन एवं परिणाम पद्धति के लिए विनियम क्रमांक - 182 E का अनुमोदन कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03/06/2022 में किया गया है, जो निम्नांकित है -

### Regulation No. 182 E सेमेस्टर परीक्षा एवं मूल्यांकन पद्धति (Under the Provisions of Ordinance 5) (E.C. - 03-06-2022)

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3-33/2020/38-1, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 28/03/2022 एवं विश्वविद्यालय Regulation No.-182 C के परिपालन तथा शिक्षा की गुणवत्ता तथा प्रतिस्पर्धा को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा सत्र 2021-22 के सेमेस्टर परीक्षा के आयोजन एवं परीक्षा परिणाम हेतु निम्नानुसार प्रावधान लागू किया जाना प्रस्तावित -

- (1) सेमेस्टर पद्धति की कक्षाओं के लिए परीक्षा का आयोजन निम्नानुसार किया जाएगा -
  - 1.1 निर्धारित परीक्षा दिवस में विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र Online (E-mail) आदि के माध्यम से भेजा जाएगा।
  - 1.2 परीक्षार्थी प्रश्नों के उत्तर घर पर ही लिख कर भेजेंगे। उत्तर लिखने की समय-सीमा एवं उत्तर भेजने की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जाएगी।
- (2) सेमेस्टर परीक्षा के लिए परीक्षाफल निम्नलिखित रीति से तैयार किया जाएगा -
  - 2.1 प्रश्नपत्रवार अंक की गणना गत वर्ष के कुल प्राप्तांक के औसत का 50 प्रतिशत भार (Weightage) तथा वर्तमान परीक्षा (Exam from Home) के प्रश्न-पत्र के प्राप्तांक का 50 प्रतिशत भार (Weightage) देकर अंक गणना की जाएगी।
  - 2.2 स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट सेमेस्टर परीक्षा के प्रथम सेमेस्टर के परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा (Exam from Home) के प्रश्नपत्रवार प्राप्तांक के आधार पर अंक गणना की जाएगी।

#### Annexure - A (सेमेस्टर परीक्षा हेतु)

क्र.	कक्षा	पद्धति	उदाहरण
1	द्वितीय सेमेस्टर (किसी प्रश्न-पत्र/विषय का अंक)	संबंधित प्रश्न-पत्र के पूर्णांक का 50 प्रतिशत Weightage - प्रथम सेमेस्टर के कुल प्राप्तांक का औसत तथा 50 प्रतिशत Weightage - उस विषय/प्रश्न-पत्र का वर्तमान प्राप्तांक	यदि प्रश्न-पत्र का पूर्णांक 80 है तो 40 अंक - प्रथम सेमेस्टर के प्राप्तांक का औसत $300/500 = 60$ प्रतिशत Weightage अंक = 24 अंक तथा 40 अंक - परीक्षा के प्राप्तांक $65/80 = 81.25$ प्रतिशत का Weightage अंक $32.5 = 33$ इस प्रकार सैद्धांतिक प्रश्न-पत्र के अंक $24+33 = 57/80$

**Annexure – B (सेमेस्टर परीक्षा हेतु)**

क्र.	कक्षा	पद्धति	उदाहरण
1	चतुर्थ सेमेस्टर (किसी प्रश्न-पत्र/विषय का अंक)	संबंधित प्रश्न-पत्र के पूर्णांक का 50 प्रतिशत <b>Weightage</b> – प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर के कुल प्राप्तांक का औसत तथा 50 प्रतिशत <b>Weightage</b> – वर्तमान प्रश्न-पत्र के प्राप्तांक	यदि किसी प्रश्न-पत्र का पूर्णांक 50 है तो 25 अंक – प्रथम+द्वितीय+तृतीय सेमेस्टर के प्राप्तांक का औसत $300/500+310/500+325/500 = 935/1500 = 62.33$ प्रतिशत का <b>Weightage</b> अंक 15.58 (16 अंक) तथा 25 अंक – परीक्षा के प्राप्तांक 42/50 अंक = 84 प्रतिशत का <b>Weightage</b> अंक – 21 इस प्रकार कुल 16+21 = 37/50 अंक प्राप्त होंगे।

**Annexure – C (सेमेस्टर परीक्षा हेतु)**

क्र.	कक्षा	पद्धति	उदाहरण
1	तृतीय सेमेस्टर (किसी प्रश्न-पत्र/विषय का अंक)	संबंधित प्रश्न-पत्र के पूर्णांक का 50 प्रतिशत <b>Weightage</b> – प्रथम, द्वितीय सेमेस्टर के कुल प्राप्तांक का औसत तथा 50 प्रतिशत <b>Weightage</b> – उस विषय/प्रश्न-पत्र का वर्तमान प्राप्तांक	यदि प्रश्न-पत्र का पूर्णांक 80 है तो 40 अंक – प्रथम+द्वितीय सेमेस्टर के प्राप्तांक का औसत $300/500+400/500=700/1000 = 70$ प्रतिशत <b>Weightage</b> अंक = 28 अंक तथा 40 अंक – परीक्षा के प्राप्तांक 65/80 = 81.25 प्रतिशत का <b>Weightage</b> अंक 32.5 = 33 इस प्रकार सैद्धांतिक प्रश्न-पत्र के अंक 28+33 = 61/80

- (3) उक्त रीति से घोषित परीक्षा परिणाम में पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्गणना की पात्रता नहीं होगी।  
 (4) उपर्युक्त व्यवस्था केवल सेमेस्टर परीक्षा (II, IV, VI, VIII, X के नियमित/भूतपूर्व/ए.टी.के. टी एवं I, III, V, VII, IX के ए.टी.के.टी.) मई-जून 2022 के लिए प्रभावशील होगी।

आदेशानुसार,

*S. Patel*  
 01/6/22  
 कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 1758/अका./2022  
 प्रतिलिपि :

रायपुर, दिनांक : 09.06.2022

- माननीय राज्यपाल महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
- सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर
- आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी.-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
- अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
- प्राचार्य, समस्त संबद्ध महाविद्यालय,
- समस्त विभाग प्रमुख, विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन,
- उ.कु.स. सामान्य प्रशासन/परीक्षा/विकास/स.कु.स. गोपनीय /वित्त नियंत्रक,
- कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

*S. Patel*  
 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)